

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

केशन्ति वगैरह बनाम रेखा वगैरह

सम मुकदमा - वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.न. 90/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4.07.2025	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप चौधरी द्वारा बाबत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये Registered AD वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)</p> <p><u>29.8.25</u> पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को वारि-2 आवाज दिलवाई गई। वादी पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के तामिले / तामिल रजि.डस रस्ता पेश नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि वादी पत्रावली में कोई भी अपील के लिए इच्छुक नहीं है इसलिए पत्रावली वादी की अदम हाजरी एवं अदम पंरकी में खारिज की जाती है। पत्रावली फेल ल शुमार होकर हाथिल इफ्त है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)</p>	